

प्रेषक,

राम सिंह
प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महाप्रशासक,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 11 फरवरी, 2016

विषय- महाप्रशासक कार्यालय हेतु सृजित 08 अस्थायी पदों की निरन्तरता बढ़ाया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-76/XXXVI(1)/2014-582/2001 दिनांक 25-03-2014 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राजपाल, महाप्रशासक कार्यालय हेतु सृजित 08 अस्थायी पदों की निरन्तरता वर्तमान शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाये, वर्ष 2016-17 में दिनांक 01.03.2016 से दिनांक 28-02-2017 तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त पदों का सृजन मूल रूप में शासनादेश सं0-15 एक(1)/न्याय विभाग/03 दिनांक 14.02.2003 के द्वारा किया गया था।

2- उक्त कार्यालय में पद धारण करने वाले कर्मचारियों की सेवा शर्तों सम्बन्धित सगर्ग की सेवा नियमावली से अवधारित होगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक के अनुदान सं0-14 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014- न्याय प्रशासन -00- आयोजनेत्तर-8 00-अन्य व्यय-07- महाप्रशासक कार्यालय नैनीताल-00" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामों द्वारा किया जायेगा।

4- यह आदेश उत्तर-प्रदेश शासन के वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं0-ए-2-2574/दस-98-24(8) 92 लखनऊ, दिनांक 02 दिसम्बर 1998 सपठित सं0-ए-1270/76-दस दिनांक 20.07.1968 एवं कार्यालय ज्ञाप सं0 सं0-ए-2-877/दस-92-24(8)/92 दिनांक 07.11.1995 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रसारित किये जा रहे हैं।

5- उक्त के साथ वित्त (वे0आ0-स0नि0) अनुभाग-7 के शासनादेश सं0-118(1)/XXV II(7)2006 दिनांक 31.08.2006 की छाया प्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया उक्त पदों के स्थायीकरण के संबंध में शासनादेश में उल्लिखित 09 बिन्दुओं पर बिन्दुवार आख्या सहित पदों के स्थायीकरण का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करके संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(राम सिंह)
प्रमुख सचिव

(2)

संख्या- ६५७४४४४४(१)/२०१५-५८२/२००१ तददिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- १- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
- २- महानिबन्धक, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
- ३- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
- ४- वित्त अनुभाग-५ / कार्मिक अनुभाग / एन०आई०सी० / गार्ड फाईल।

आज्ञा सं



(हेमन्त सिंह)
संयुक्त राशि